भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2006

गुरूवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

बढ़ता अनौपचारिकीकरण और स्त्री-पुरुष वेतन अंतर

2006. सुश्री सुष्मिता देव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2023-24 में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की हिस्सेदारी बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई है**,** यदि हां**,** तो श्रम बाजार के अनौपचारिकीकरण के क्या कारण हैं और इस संबंध में हाल ही में क्या उपाय किए गए हैं**;**

(ख) क्या विगत पांच वर्षो के दौरान महिला वेतनभोगी कामगारों की हिस्सेदारी में कमी आई है**,** यदि हां**,** तो सरकार द्वारा ग्रामीण महिला कामगारों के लिए वेतनयुक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं**;** और

(ग) क्या यह सच है कि नैमित्तिक और स्वरोजगार में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 50 प्रतिशत तक कम कमाती हैं**,** यदि हां**,** तो सरकार द्वारा स्त्री-पुरुष वेतन अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार का संकेतक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित डब्ल्यूपीआर 23.7% से बढ़कर 46.5% हो गया है।

इसके अलावा, सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के बीच 7 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हुए हैं, जो रोजगार परिदृश्य के औपचारिकीकरण में वृद्धि का संकेत देता है, जिनमें से 1.43 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

महिलाओं सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), आदि जैसे उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं में मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ- किरण (वाइज़-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) आदि शामिल हैं, ताकि महिलाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार हो सके।

महिला श्रमिकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित वेतनभोगी रोजगार योजना है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत वेतनभोगी रोज़गार प्रदान करती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत सृजित कम से कम एक तिहाई नौकरियाँ महिलाओं को दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं की भागीदारी की दर 2019-20 में 54.79% से बढ़कर 2023-24 में 58.89% हो गई है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। बजट में अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों के अलावा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए उद्योगजगत के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल स्थापित करने और क्रेच स्थापित करने की भी घोषणा की गई।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

***